

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रबंध निदेशक;

झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (लि.),
(झालको), राँची, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 27-11-15

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-34-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 46 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन), विपत्र कोड-50P470200101340646 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-2016 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	50-लघु सिंचाई विभाग/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल, 34-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान	06-अनुदान, 46 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) 50P470200101340646	407.16416

आवंटित राशि - ₹ चार करोड़ सात लाख सौलह हजार चार सौ सौलह मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2015-16 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 893.303 लाख (₹ आठ करोड़ तिरानबे लाख तीस हजार तीन सौ) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- अधीक्षण अभियंता मोनितरिंग अंचल-3 एवं मुख्य अभियंता, मोनितरिंग कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

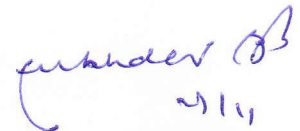
(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी. एल. खाता में जमा करेंगे।
13. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
14. इस राशि का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No-10516/2013 श्री हरिहर यादव एवं अन्य बनाम मुख्य सचिव, झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्याय निर्णय एवं इस संबंध में दायर अवमाननावाद संख्या-484/2014 के आलोक में भालको कर्मियों को दिनांक-29.12.2001 से दिनांक-13.09.2004 तक बकाया वेतन मद में किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

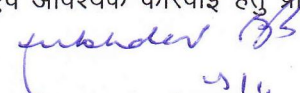
ज्ञापांक :-

118

राँची, दिनांक :- 27-11-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

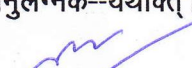
ज्ञापांक :-

118

राँची, दिनांक :- 27-11-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पौंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक - 118 / संची, दिनांक - 27-11-15

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50 लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियथ, लघु शीर्ष-101-सतही जल,
उपशीर्ष-34-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान
विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 46 सहायता अनुदान सामान्य(वेतन), विपत्र कोड-50P470200101340646
संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2015-16) रू. 893.303 लाख।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता / प्र.निदेशक	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 15 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची (RNCIRR035)	प्रबन्ध निदेशक, झालको	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No-10516/2013 श्री हरिहर यादव एवं अन्य बनाम मुख्य सचिव, झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्याय निर्णय एवं इस संबंध में दायर अवमाननावाद संख्या-484/2014 के आलोक में भालको कर्मियों को दिनांक-29.12.2001 से दिनांक-13.09.2004 तक बकाया वेतन मद में किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु	31/15-16 प्र.स्वी. दिनांक-28.10.2015	886.60585	0.00	0.00000	407.16416	407.16416	77063	भालको (BHALCO) कर्मियों को किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु
योग							0.00000	407.16416	407.16416		

आवृत्ति राशि - ₹ चार करोड़ सात लाख सौलह हजार चार सौ सौलह मात्र।

(ऑकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव